12.16½ hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 5th September, 1966, agreed without any amendment to the Delhi High Court Bill, 1966, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 1st September, 1966."

12.16½ hrs.

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 *RE*: PAKISTAN SPIES AND MINISTER'S REPLY THERETO

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय .....

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा है ?

श्री मधु लिमये : ज्यादा लम्बा नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, 17 अगस्त को पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियों के बारे में सदन में श्री सुरेन्द्र द्विवेदी के नोटिस पर आधे घंटे की बहस हुई । उस वक्त मैंने अपने वक्तव्य में मोहित चौधरी, सुनील दास मामले का जिक्र किया था और पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जिस ढंग से जांच की जा रही थी, उसके बारे में चिन्ता व्यक्त की थी । मैंने कहा था कि इस मामले में सत्ता के आस पास घूमने वाले बड़े नेता अनुचित ढंग से हस्तक्षेप कर रहे हैं । इसी सन्दर्भ में मैं ने कहा था कि जहां पहले पश्चिम बंगाल सरकार की स्पेशल ब्रांच इस मामले की जांच कर रही थी, अगस्त के प्रथम सप्ताह में कुछ असरदार व्यक्तियों के दबाव में आकर यह मामला डिटैक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया । राज्य गृह मंत्री श्री जयसुखलाल हाथी ने मेरी बात का साफ खण्डन किया और कहा कि यह मामला आज भी स्पेशल ब्रांच के हाथ में है, महज डिटैक्टिव डिपार्टमेंट का एक अनुभवी अफसर इस मुकदमे की तैयारी में उनकी मदद कर रहा है । बात बिल्कुल साफ है कि मंत्री महोदय को पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी दी गई थी और उनको गुमराह कर दिया गया था । राज्य गृह मंत्री ने भी खुद अपने जांच विभागों द्वारा ..... मुझ को दिखाई नहीं दे रहा है, कि गृहमंत्री जी कहां हैं ?

एक माननीय सदस्य : वे यहां बैठे हैं ।

श्री मधु लिमये : खुद अपने जांच विभागों द्वारा सत्य का पता लगाने की स्वतंत्र ढंग से जरा भी कोशिश नहीं की । यदि केन्द्रीय इंटैलिजैंस ब्यूरो या सी० बी० आई० के द्वारा वे जांच करवाते तो सही बात का उनको पता चल जाता । अब मेरे पास जो जानकारी आई है, वह मैं आपके सामने रखता हूं —

(1) दो अगस्त, 1966 को पश्चिम बंगाल के डी० आई० जी०, सी० आई०डी०ने गृह सचिव की हाज़िरी में डिप्टी कमिश्नर (स्पेशल ब्रांच) से कहा कि इस सम्बन्ध में सारे कागजात डिप्टी कमिश्नर (डिटैक्टिव डिपार्टमेंट) को दिये जायें ।

(2) पश्चिम बंगाल सरकार का गृह-मंत्रालय नहीं चाहता था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक प्रमुख कर्मचारी श्री सुनील दास को गिरफ्तार किया जाय । यह गिरफ्तारी डिप्टी कमिश्नर (डी० डी०) के द्वारा स्पेशल ब्रांच की पुरानी योजना के अनुसार की गई । चूंकि केस सम्बन्धी कागजात डिटैक्टिव डिपार्टमेंट के हाथ में आ गये थे